क्रम-संख्या–137

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 4 जून, 2013

ज्येष्ठ 14, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–1

संख्या 1756/छः-पु-1–13-115-2008

लखनऊ, 4 जून, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–37

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 और धारा 46 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य सामर्थ्यकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2013

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2013 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से प्रवृत्त होगी।

नियम 15 का संशोधन

2–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 15 के खण्ड–(क) (एक) और (पाँच) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
आरक्षियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया	**आरक्षियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया**
15. (क) आवेदन पत्र	**15. (क) आवेदन पत्र**
(एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिये आवेदन पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवंटन के सम्बन्ध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है फिर भी बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्रों से भिन्न केन्द्र को आवंटन कर सकता है।	(एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले से आवेदन पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवंटन के सम्बन्ध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है फिर भी बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्रों से भिन्न केन्द्र को आवंटन कर सकता है।
(दो) शैक्षिक अर्हता, आयु, प्रत्येक श्रेणी के परीक्षण, जिसके अन्तर्गत शारीरिक, लिखित, चिकित्सीय आदि परीक्षण भी हैं, के लिए न्यूनतम अर्हक मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हक अंक, अभ्यास के लिए ओ०एम०आर० पत्रक की प्रति के सम्बन्ध में सूचना का विवरण एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश जो समय–समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाय, बोर्ड द्वारा उसकी वेबसाइट पर या किसी अन्य रीति से, जैसा वह आवश्यक समझे, उपलब्ध करायी जायेगी।	(दो) शैक्षिक अर्हता, आयु, प्रत्येक श्रेणी के परीक्षण, जिसके अन्तर्गत शारीरिक, लिखित, चिकित्सीय आदि परीक्षण भी हैं, के लिए न्यूनतम अर्हक मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हक अंक, अभ्यास के लिए ओ०एम०आर० पत्रक की प्रति के सम्बन्ध में सूचना का विवरण एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश जो समय–समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाय, बोर्ड द्वारा उसकी वेबसाइट पर या किसी अन्य रीति से, जैसा वह आवश्यक समझे, उपलब्ध करायी जायेगी।
(तीन) आवेदन पत्र के लिए आवेदक को पर्याप्त समय देते हुए बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। अभ्यर्थी, आवेदन पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा, यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।	(तीन) आवेदन पत्र के लिए आवेदक को पर्याप्त समय देते हुए बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। अभ्यर्थी, आवेदन पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा, यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।
(चार) आवेदक, अपने समस्त प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों को स्वयं प्रमाणित करेगा और उनकी यथार्थता तथा शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा।	(चार) आवेदक, अपने समस्त प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों को स्वयं प्रमाणित करेगा और उनकी यथार्थता तथा शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा।
(पाँच) विभागाध्यक्ष किसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नियत कर सकता है।	(पाँच) आवेदन पत्र में पहचान विवरण यथा–विशिष्ट पहचान पत्र संख्या, अंगूठा एवं अंगुली निशान, फोटोग्राफ या बायो मैट्रिक्स भी समुचित रीति से इस प्रकार समाविष्ट होंगे जैसा बोर्ड द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये।

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(छः) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती सूचना में किसी अपूर्णता या परिवर्तन या असंगति के लिए बोर्ड को किसी आवेदक का अभ्यर्थन सरसरी तौर पर अस्वीकार करने का अधिकार होगा।	(छः) विभागाध्यक्ष किसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नियत कर सकता है।
(सात) सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या परिवर्तित कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है।	(सात) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती सूचना में किसी अपूर्णता या अयथार्थता या परिवर्तन या असंगति के लिए बोर्ड को किसी आवेदक का अभ्यर्थन सरसरी तौर पर अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
	(आठ) सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या परिवर्तित कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है।

नियम–17 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में, नियम–17 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड–(क), (ख) और (ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
17. मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति, आरक्षी सिविल पुलिस के रूप में मौलिक रूप से भर्ती किये गये पात्र व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति में की जाती है:–	17. मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति, आरक्षी सिविल पुलिस के रूप में मौलिक रूप से भर्ती किये गये पात्र व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति में की जाती है:–
(क) पदोन्नति के लिए तात्पर्यित 25 प्रतिशत रिक्तियाँ विभागीय परीक्षा द्वारा भरी जायेंगी। केवल वहीं आरक्षी जिनकी न्यूनतम सात वर्ष की सेवा है, जिसमें परिवीक्षा अवधि भी सम्मिलित है और जो 40 वर्ष की आयु पूर्ण न कर चुके हों, उक्त विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार हैं।	(क) मुख्य आरक्षी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 100 प्रतिशत पद, अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किये गये ऐसे आरक्षियों में से भरे जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों।
(ख) पदोन्नति के लिए तात्पर्यित 75 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा सहित ज्येष्ठता के आधार पर चयन द्वारा भरी जायेंगी। इस उपबन्ध के अधीन केवल वे ही आरक्षी ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए न्यूनतम सात वर्ष की हो।	(ख) उप खण्ड (क) के अधीन मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति के लिए निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे मुख्य आरक्षी भी पात्र होंगे जो अपेक्षाओं को पूरा करते हों। ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया परिशिष्ट–2(2) में दी गयी है।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
टिप्पणीः 1–रिक्ति के वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती पाँच वर्षों में जिन आरक्षियों के सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र रोके गये हैं या जिनको बृहद दण्ड प्राप्त हुआ हो या कोई प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टि प्रदान की गयी है या पूर्ववर्ती तीन वर्षों में कोई लघु दण्ड प्राप्त हुआ हो, वे उस वर्ष में पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे। टिप्पणीः 2–ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए चयन समिति, समान ज्येष्ठता वाले अभ्यर्थियों के समूहों के लिए, ज्येष्ठतम से आरम्भ करते हुए पदोन्नति की संस्तुति कर सकती है, परन्तु यह कि संस्तुत की गयी कुल संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी। विभागीय परीक्षा के माध्यम से और अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के माध्यम से मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट–6 में दी गयी है।	

परिशिष्ट–5 का संशोधन

4–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये परिशिष्ट–5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात :–

मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट परिशिष्ट–5 अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट परिशिष्ट–5 अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण एवं उनकी चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया	
(एक) चिकित्सीय परीक्षा परिषद	विहित लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा में अर्ह पाये गये और छाँटे गये अभ्यर्थियों और ऐसे अभ्यर्थी जिनके दस्तावेज परिशिष्ट–4 द्वारा संवीक्षा के पश्चात् सही पाये गये हों, का चिकित्सीय परीक्षण किया जायेगा।	1– चिकित्सीय परीक्षा परिषद	विहित लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा में अर्ह पाये गये और छाँटे गये अभ्यर्थियों और ऐसे अभ्यर्थी जिनके दस्तावेज परिशिष्ट–4 द्वारा संवीक्षा के पश्चात् सही पाये गये हों, का चिकित्सीय परीक्षण किया जायेगा।
(दो) शारीरिक मानक परीक्षण	चिकित्सीय परीक्षण में नीचे बिन्दु तीन द्वारा विहित पैरामीटर के अतिरिक्त शारीरिक मानक परीक्षण भी सम्मिलित होगा, जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों अभ्यर्थियों की ऊँचाई का परीक्षण होगा।	2– शारीरिक मानक परीक्षण	चिकित्सीय परीक्षण में नीचे बिन्दु तीन द्वारा विहित पैरामीटर के अतिरिक्त शारीरिक मानक परीक्षण भी सम्मिलित होगा, जिसमें यथास्थिति महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों की ऊँचाई, सीना और वजन का परीक्षण होगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट परिशिष्ट–5 अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया		स्तम्भ–2 एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट परिशिष्ट–5 अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण एवं उनकी चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया	
(दो) शारीरिक मानक परीक्षण	(1) पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैं:– (क) पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक– ऊँचाई	2–शारीरिक मानक परीक्षण	(1) पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है :– **(क) ऊँचाई की माप:** (एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए 168 सेन्टीमीटर होगी। (दो) आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर है।
	(ख) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए 168 सेन्टीमीटर होगी। (ग) आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर है।		(ख) सीने की माप: सामान्य/अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। **नोट:**–न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।
	(2) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक– ऊंचाई (क) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेन्टीमीटर है। (ख) अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर है।		(2) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक **(क) ऊँचाई की माप:** (एक) सामान्य/अन्य पिछड़े तथा अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेन्टीमीटर है। (दो) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर है। **(ख) वजन की माप:**– न्यूनतम 40 किलोग्राम। (3) प्रत्येक परीक्षण हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक अर्हता को स्टेडियम/पुलिस लाइन में, जहाँ कहीं भी परीक्षण का आयोजन परीक्षा आयोजित होने के पूर्व किया जाय, बोर्ड पर अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

स्तम्भ—1 विद्यमान परिशिष्ट परिशिष्ट—5 अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया		स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट परिशिष्ट—5 अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण एवं उनकी चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया	
(तीन) चिकित्सा मैनुअल के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण	**टिप्पणी:**—(1) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन या निदेशक बाँट माप द्वारा प्रमाणित उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।	3— चिकित्सा मैनुअल के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण	**टिप्पणी:**—(1) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले या निदेशक बाँट माप द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।
	(2) चिकित्सा परिषद में अल्पसंख्यक अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि होगा जो महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित और कोड किये गये "पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र" के अनुसार अभ्यर्थियों की परीक्षा करेगा। यह प्रपत्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और चिकित्सा परीक्षा के स्थान पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।		(3) चिकित्सा परिषद में अल्पसंख्यक अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि होगा जो महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित और कोड किये गये "पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र" के अनुसार अभ्यर्थियों की परीक्षा करेगा। यह प्रपत्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और चिकित्सा परीक्षा के स्थान पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।
	(क) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों की परीक्षा चिकित्सा मैनुअल, यदि कोई हो, के अनुसार की जायेगी और चिकित्सा परीक्षा के दिन ही परिणाम घोषित कर दिया जायेगा।		(क) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों की परीक्षा चिकित्सा मैनुअल, यदि कोई हो, के अनुसार की जायेगी और चिकित्सा परीक्षा के दिन ही परिणाम घोषित कर दिया जायेगा।
	(ख) चिकित्सा परीक्षा का परिणाम परिसर के बाहर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा।		(ख) चिकित्सा परीक्षा का परिणाम परिसर के बाहर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा।
	(ग) बोर्ड चिकित्सा परीक्षण को रिमोट सरवर पर सीधे आनलाइन अभिलिखित करने की प्रणाली निकालने और उसे संस्थित करने का प्रयास करेगा जिसमें लेखा परीक्षा किये जाने योग्य परिवर्तन अनुचिन्ह होंगे और प्रत्येक परिवर्तन पर टाइम स्टाम्प अंकित होगा। किसी अभिलेख को अन्तिम रूप से प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।		(ग) बोर्ड चिकित्सा परीक्षण को रिमोट सरवर पर सीधे आनलाइन अभिलिखित करने की प्रणाली निकालने और उसे संस्थित करने का प्रयास करेगा जिसमें लेखा परीक्षा किये जाने योग्य परिवर्तन अनुचिन्ह होंगे और प्रत्येक परिवर्तन पर टाइम स्टाम्प अंकित होगा। किसी अभिलेख को अन्तिम रूप से प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

स्तम्भ—1 विद्यमान परिशिष्ट परिशिष्ट—5 अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया		स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट परिशिष्ट—5 अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण एवं उनकी चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया	
(तीन) चिकित्सा मैनुअल के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण	(घ) कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से असन्तुष्ट हो, ठीक परीक्षा के दिन ही अपील फाइल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा, यदि अभ्यर्थी अपने चिकित्सा परीक्षा और परीक्षा के परिणाम की घोषणा के दिन अपील करने में विफल रहता है। अपील का निस्तारण उक्त अपील के लिए गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा अपील फाइल किये जाने के एक माह के भीतर किया जाना चाहिए।	**(तीन) चिकित्सा मैनुअल के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण**	(घ) कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा सें असन्तुष्ट हो, ठीक परीक्षा के दिन ही अपील फाइल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा, यदि अभ्यर्थी अपने चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिन अपील करने में विफल रहता है। अपील का निस्तारण उक्त प्रयोजन के लिए गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा अपील फाइल किये जाने के एक माह के भीतर किया जाना चाहिए।
	(ङ) चिकित्सा बोर्ड के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जायेंगे, दांडिक कार्यवाही के भागी होंगे।		(ङ) चिकित्सा बोर्ड के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जायेंगे, दांडिक कार्यवाही के भागी होंगे।
	(च) चिकित्सा परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी और योग्यता सूची पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।		(च) चिकित्सा परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होती है और योग्यता सूची पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

5—उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये परिशिष्ट—6 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात्:— परिशिष्ट—6 का संशोधन

स्तम्भ—1 **विद्यमान परिशिष्ट** **परिशिष्ट—6** **ज्येष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया**	स्तम्भ—2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट** **परिशिष्ट—6** **विभागीय आधार पर मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया**
विभागीय परीक्षा के आधार पर आरक्षी सिविल पुलिस की मुख्य आरक्षी सिविल पुलिस के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :— विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति अधिकतम 300 अंकों की लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये कुल अंकों के आधार पर और अधिकतम 100 अंकों के सेवा अभिलेख के आधार पर होगी।	परिशिष्ट—6 (निकाल दिया गया)

140 RPH Griha Police 2013 Data 2

स्तम्भ–1

विद्यमान परिशिष्ट

परिशिष्ट–6

ज्येष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया

1–आरक्षी से मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्नपत्र होगा जो अधिकतम 300 अंकों का होगा जिसका विभाजन निम्नवत् है –

खण्ड क : विधि और पुलिस प्रक्रिया–200 अंक

खण्ड ख : सामान्य ज्ञान और बोधगम्यता–100 अंक

उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2–लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने वाले अभ्यर्थियों में से रिक्तियों की संख्या के डेढ़ गुनी संख्या में कुल अभ्यर्थी परिशिष्ट–2 में उल्लिखित शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए अर्ह होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्हकारी प्रकृति का होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण कर लेने वाले अभ्यर्थियों को न्यूनतम 100 अंक सेवा अभिलेख के लिए निम्नलिखित मानदंड के अनुसार प्रदान किया जायेगा :

(एक) गत दस वर्षों की वार्षिक अभ्युक्ति: अधिकतम 60 अंक

6 अंक प्रत्येक उत्कृष्ट के लिए और 4 अंक अति उत्तम के लिए और 2 अंक उत्तम के लिए। प्रत्येक प्रतिकूल अभ्युक्ति के लिए 6 अंक कम कर दिये जाएंगे।

(दो) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम :

अधिकतम अंक 10, जिनमें से 5 दिन के या उससे अधिक के प्रत्येक प्रशिक्षण या इस प्रयोजन के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा अधिसूचित सरकार/विश्वविद्यालय के किसी दूरस्थ प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए एक अंक

(तीन) नकद पुरस्कार :

अधिकतम अंक 30, जिनमें से प्रत्येक नकद पुरस्कार के लिए 5 अंक प्रदान किये जायेंगे।

(चार) दण्ड : ऋणात्मक अंक निम्नवत् प्रदान किये जायेंगे:

प्रत्येक वृहद दण्ड के लिए 5 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 3 अंक, सत्यनिष्ठा रोके जाने के लिए ऋणात्मक 10 अंक।

मद (दो) से (चार) रिक्ति के वर्ष तक पूर्ण सेवा अभिलेख से सम्बन्धित होंगे।

3–श्रेष्ठता का निर्धारण लिखित एवं सेवा अभिलेख के कुल अंकों पर आधारित होगा। अंकों के बराबर–बराबर होने की दशा में, सेवा अभिलेख में अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वरीयता प्रदान की जायेगी।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट

परिशिष्ट–6

विभागीय आधार पर मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया

परिशिष्ट–6

(निकाल दिया गया)

आज्ञा से,

आर0एम0 श्रीवास्तव,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1756/vi-pu-01-13-115/2008, dated 04 June, 2013.

No. 1756/VI-PU-01-13-115-2008

Dated Lucknow June 04, 2013

IN exercise of the powers under clause (c) of sub-section (2) of section 46 read with sub-section (3) of the said section and section 2 of the Police Act, 1861 (Act no. 5 of 1861) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Civil Police Constable and Head Constable Service Rules, 2008:-

THE UTTAR PRADESH POLICE CONSTABLE AND HEAD CONSTABLE SERVICE (FIFTH AMENDMENT) RULES, 2013.

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Police Constable and Head Constable Service (Fifth Amendment) Rules, 2013. Short title commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

2. In the said rules for rule 15 for clause-(a) (i) and (v) set out in column I below the rule as set out in column II shall be *substituted*, namely:- Amendment of rule-15

Column I *Existing Rules*	Column II *Rules as hereby substituted*
Procedure for direct recruitment of Constable	***Procedure for direct recruitment of Constable***
15 (a) Application-	***15(a) Application-***
(i) A candidate shall fill the application Form for one District only. Regarding allocation of Examination center, the candidate may give more than one option. However, Board may allocate center other than those indicated by the candidate.	*(i) A candidate shall fill the application Form* ***from*** *one District only. Regarding allocation of Examination center, the candidate may give more than one option. However, Board may allocate center other than those indicated by the candidate.*
(ii) The details of the information regarding educational qualification, age, minimum qualifying standards for each category of examination, including physical, written, medical etc., minimum qualifying marks for Written Examination subject wise, copy of O.M.R. sheet for practice and other important guidelines as may be determined by the Board from time to time shall be provided by the Board on its web-site or any other method as it deems necessary.	*(ii) The details of the information regarding educational qualification, age, minimum qualifying standards for each category of examination, including physical, written, medical etc., minimum qualifying marks for Written Examination subject wise, copy of O.M.R. sheet for practice and other important guidelines as may be determined by the Board from time to time shall be provided by the Board on its web-site or any other method as it deems necessary.*
(iii) The applications shall be invited by the Board giving the applicants adequate time for application. The candidate shall be personally and solely responsible for its accuracy and completeness, if Form of any candidate Found incomplete, wrong or having inaccurate information, this Form shall be cancelled.	*(iii) The applications shall be invited by the Board giving the applicants adequate time for application. The candidate shall be personally and solely responsible for its accuracy and completeness, if Form of any candidate Found incomplete, wrong or having inaccurate information, this Form shall be cancelled.*

Column I *Existing Rules*	Column II *Rules as hereby substituted*
(iv) An applicants shall certify himself all his certificates and documents and be responsible for their genuineness and correctness.	*(iv) An applicant shall certify himself all his certificates and documents and be responsible for their genuineness and correctness.*
(v) The head of the department may fix an application fee for any recruitment.	***(v) The application form may also include identification details like Unique Identity Number, thumb and finger impressions, photograph or bio metrics in appropriate manner as prescribed by the Board from time to time.***
(vi) The Board shall have the right to summarily reject the candidature of an applicant for any incompleteness or inaccuracy or variation or conflict with any previous or subsequent information submitted by the candidate.	*(vi) The head of the department may fix an application fee for any recruitment.* *(vii) The Board shall have the right to summarily reject the candidature of an applicant for any incompleteness or inaccuracy or variation or conflict with any previous or subsequent information submitted by the candidate.*
(vii) The Government may change the number of vacancies for any recruitment at any time before the first examination and may also cancel any recruitment at any time or stage of recruitment without assigning any reason thereof.	*(viii) The Government may change the number of vacancies for any recruitment at any time before the first examination and may also cancel any recruitment at any time or stage of recruitment without assigning any reason thereof.*

Amendment of rule-17

3. In the said rules in rule 17 for clauses-(a) (b) and (c) set out in column I below the clauses as set out in column II shall be substituted, namely :-

Column I *Existing Rules*	Column II *Rules as hereby substituted*
17- The appointment to the post of Head Constable is made by promotion from amongst the eligible, persons substantively recruited as Constables Civil Police, in the following manner:-	**17- The appointment to the post of Head Constable is made by promotion from amongst the eligible, persons substantively recruited as Constables Civil Police, in the following manner:-**
(a) 25 percent of the vacancies meant for promotion shall be filled by the Departmental Examination. Only those constables who have minimum seven years service including probation period and have not completed the age of 40 years are entitled to appear in the said Departmental Examination.	***(a) Hundred percent of the total number of sanctioned posts of Head Constable shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Constables, who have completed seven years of service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.***
(b) 75 percent of the vacancies meant for promotion shall be filled by selection on the basis of seniority subject to rejection of unfit, along with Physical Efficiency Test which is of a qualifying nature. under this provision	***(b) Head Constable promoted on ex-cadre posts meeting the requirement***

Column I *Existing Rules*	Column II *Rules as hereby substituted*
only those constable who have minimum seven years service including probation period will be eligible for the promotion on the basis of seniority.	***will also be eligible for promotion to the post of Head Constable under sub-clause (a)***
Note: 1. Those constables for whom, in the past five years immediately preceding the year of vacancy, integrity certificate has been withheld, or have received a major penalty or have been awarded an adverse annual entry or in preceding three years have received a minor punishment shall not be eligible for promotion for that year.	***The detailed procedure for promotion to the post of Head Constables through seniority subject to rejection of unfit is given in Appendix-2(2).***
Note: 2. For promotion on the basis of seniority, the Selection Committee may recommend promotion for groups with candidates of same seniority, starting with the seniormost, provided that the total number recommended shall not exceed the number of vacancies.	
The detailed procedure for promotion to the post of Head Constables through Departmental Examination and through seniority subject to rejection of unfit is given in Appendix-6	

4. In the said rules for Appendix-5 set out in column I below the Appendix as set out in column II shall be substituted, namely :- Amendment of Appendix-5

The procedure of promotion to the post of Head Constables

Column I *Existing Appendix* **Appendix-5** **Procedure for Medical Examination of the candidates.**		Column II *Appendix as hereby substituted* **Appendix-5** **Procedure for Physical Standards Test and Medical Examination of the candidates.**	
1.Medical Examination Board	Candidates found eligible in the prescribed written and physical examinations and short listed and whose documents have been found to be in order after the scrutiny vide Appendix 4 will undergo the Medical Examination.	**1.Medical Examination Board**	Candidates found eligible in the prescribed written examination and physical examinations and short listed and whose documents have been found to be in order after the scrutiny vide Appendix 4 will undergo the Medical Examination.
2. Physical Standards Test	The Medical Examination shall, in addition to parameters prescribed vide Point III below, include	**2. Physical Standards Test**	The Medical Examination shall, in addition to parameters prescribed vide Point III below, include

COLUMN I

Existing Appendix

Appendix-5

Procedure for Medical Examination of the candidates.

the Physical Standards Test consisting of a height examination for both male and female candidates.

(1) The minimum physical standard for male and female candidates are as follows :-

(a) The minimum physical standard for male candidates Height.

(b) For General/ other Backward classes and Scheduled Caste candidates shall be 168 Centimetres.

(c) For tribal candidates the minimum height is 160 Centimetres.

(2) The minimum physical standard for female candidates

Height

(a) The minimum height for General/ Other Backward Classes and Scheduled Castes women candidates is 152 Centimetres.

(b) The minimum height for Scheduled Tribes women is 147 Centimeters.

COLUMN II

Appendix as hereby substituted

Appendix-5

Procedure for Physical Standards Test and Medical Examination of the candidates.

the Physical Standards Test consisting of a height, chest and weight measurement for male and female candidate as the case may be.

(1) The minimum physical standard for male candidates are as follows:-

(a) Measurement of Height:

(i) For General/ other Backward classes and Scheduled Castes candidates shall be 168 Centimetres.

(ii) For tribal candidates the minimum height is 160 Centimetres.

(b) Measurement of Chest:-

For the candidates belonging to General /Other Backward Classes and Scheduled Castes minimum chest measurement shall be 79 Centimetres without expansion and at least 84 Centimetres with expansion and for Scheduled Tribes 77 Centimetres without expansion and not less than 82 Centimetres on expansion.

Note:- Minimum 5 Centimetres chest expansion is essential.

(2) The minimum physical standard for female candidates.

(a) Measurement of Height:

(i) The minimum height for General/ Other Backward Classes and Scheduled Castes women candidates is 152 Centimetres.

(ii) The minimum height for Scheduled Tribes women is 147 Centimetres

(b) Measurement of Weight:-

Minimum 40 Kg.

(3) ***The minimum Physical Standards of qualification of each test is to be displayed very prominently on boards in the Stadium/Police Line wherever the test is conducted before conducting the examination.***

COLUMN I

Existing Appendix

Appendix-5

Procedure for Medical Examination of the candidates.

3. Doctors to examine as per Medical Manual

Note (I) Only standardized equipments having Indian Standard Institute certification or duly certified by the Directorate of Weights and Measures are to be used for Physical Standard Test Examination.

(3) The Medical Board comprising one representative each belonging to Minority, Other Backward Class and Scheduled Caste shall examine candidates according to "Police Recruitment Medical Examination Form" as prescribed and codified by the Head of the Department in consultation with Director General Medical Health This Form will be available on the Board website and also displayed at the place of medical examination.

(a) The Doctors will examine the candidates in accordance with the Medical Manual, if any, and announce the result on the day of the Medical Examination.

(b) The result of medical examination will be displayed on the notice Board outside the premises at the end of the day.

(d) The Board will explore and try to institute a system of on-line record of medical examination directly on a remote server with auditable trail of changes and each change bearing a time stamp. No changes will be allowed after final submission of a record.

(e) Any candidate not satisfied by his medical examination, shall file an appeal on the day of the examination itself. No appeal with respect to the medical examination shall be

COLUMN II

Appendix as hereby substituted

Appendix-5

Procedure for Physical Standards Test and Medical Examination of the candidates.

3. Doctors to examine as per Medical Manual

Note:-

(I) Only standardized equipments having Indian Standard Institute certification or duly certified by the Directorate of Weights and Measures are to be used for Physical Standard Test Examination.

(4) The Medical Board comprising one representative each belonging to Minority, Other Backward Class and Scheduled Caste shall examine candidates according to "Police Recruitment Medical Examination Form" as prescribed and codified by the Head of the Department in consultation with Director General Medical Health. This Form will be available on the Board website and also displayed at the place of medical examination.

(a) The Doctors will examine the candidates in accordance with the Medical Manual, if any, and announce the result on the day of the Medical Examination.

(b) The result of medical examination will be displayed on the notice Board outside the premises at the end of the day.

(c) The Board will explore and try to institute a system of on-line record of medical examination directly on a remote server with auditable trail of changes and each change bearing a time stamp. No changes will be allowed after final submission of a record.

(d) Any candidate not satisfied by his medical examination, shall file an appeal on the day of the examination itself. No appeal with respect to the medical examination shall be entertained

\\Data8\e\Police_2013_DSR\140 RPH Griha-2013 Eng..doc

COLUMN I

Existing Appendix

Appendix-5

Procedure for Medical Examination of the candidates.

entertained if the Candidate fails to appeal on the day of his medical examination and announcement of the result of the same. The appeal should be disposed of by the medical Board constituted for the purpose within one month of the appeal being filed.

(f) The members of the medical board who are found to give the wrong report willfully will be liable for criminal proceedings.

(g) The Medical Examination is only qualifying in nature and it has no effect on the merit list.

COLUMN II

Appendix as hereby substituted

Appendix-5

Procedure for Physical Standards Test and Medical Examination of the candidates.

if the Candidate fails to appeal on the day of his medical examination and announcement of the result of the same. The appeal should be disposed of by the medical Board constituted for the purpose within one month of the appeal being filed.

(e) The members of the medical board who are found to give the wrong report willfully will be liable for criminal proceedings.

(f) The Medical Examination is only qualifying in nature and it has no effect on the merit list.

Amendment of Appendix-6

5. In the said rules for Appendix-6 set out in column I below the Appendix as set out in column II shall be substituted, namely :-

COLUMN I

Existing Appendix

Appendix-6

The procedure of Promotion to the post of Head Constables on the Departmental basis

Process for Promotion on the basis of departmental examination of Constable Civil Police to Head Constable Civil Police shall be as follows:-

Promotion on the basis of departmental examination shall be on the basis of aggregate of marks obtained in a written examination of maximum 300 marks secured and on the basis of service record having maximum 100 marks.

1. The written examination for promotion from Constable to Head Constable will consist of one paper objective type consisting of maximum 300 marks with the following breakup:-

Section A: Law and police procedure – 200 marks

Section B:

General Knowledge and Comprehension-100 marks Candidates will be required to secure a minimum of 35% marks to pass.

COLUMN II

Appendix as hereby substituted

Appendix-6

The procedure of Promotion to the post of Head Constables on the Departmental basis

Appendix-6 (Omitted)

COLUMN I

Existing Appendix

Appendix-6

The procedure of Promotion to the post of Head Constables on the Departmental basis

2. of those candidates who have passed the written examination a total of number of candidates one and half times the number of vacancies, shall be eligible to take the Physical Efficiency Test detailed in Appendix-II 2 The Physical Efficiency Test will be of qualifying nature. Candidates who qualify the Physical Efficiency Test a maximum of 100 marks will be provided for the service records as per the following criteria:

(i) Annual Remark for the last 10 years: Maximum 60 marks. 6 mark for every outstanding and 4 for very good and 2 for Good. Minus 6 for every adverse remark.

(ii) Training Course: Maximum Marks 10 with one mark for each training of 5 days or more attended or any distance training programme from Government University notified by the Head of the Department for this purpose..

(iii) Cash Rewards: Maximum Marks 30 with 5 marks awarded for each cash reward.

(iv) Punishments: Negative marks in the following manner: For every major punishment 5 marks, for every minor punishment 3 mark; With holding of integrity minus 10 marks.

Items (ii) to (iv) will relate to the complete service record till the year of vacancy.

3. Merit shall be made on the basis of aggregate of Written and Service record marks. In case of tie, the person with a higher mark in service record will be given preference.

COLUMN II

Appendix as hereby substituted

Appendix-6

The procedure of Promotion to the post of Head Constables on the Departmental basis

By order,

R.M. SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 140 राजपत्र (हि०)–2013–(291)–597 प्रतियां (क०/टी०/आ०)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सा० गृह पुलिस–2013–(298)–100 प्रतियां (क०/टी०/आ०)।